न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 368 सन 2018
अनवान :–

1. मांगीलाल पुत्र रामूराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामूराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. प्रेमाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. परमा 4 दाना 5 विधा 6 बाधु पुत्रीयान रामूराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 431/368 के खसरा न0 122 की 4.8940हैक , खसरा न0 258 की 0.0130हैक , खसरा न0 261 की 2.5800हैक , खसरा न0 277 की 3.7930हैक खसरा न0 400 की 2.3650हैक खसरा न0 464 की 2.7310हैक , खसरा न0 465 की 4.6160हैक कुल 20.9920हैक व रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 646/486 के खसरा न0 248 की 4.7420हैक खसरा न0 268 की 0.8850है खसरा न0 269/1 की 2.5670हैक कुल 8.1940हैक जिसके वादी के दादा जैसाराम खातेदार काश्तकार थे। वादी के दादा जैसाराम के फोत हो जाने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके चारों पुत्रगणों पर औद हुई एवं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 431/368 की कुल 20.9920हैक मे से सयुक्त तौर से 1/20 हिस्सा एव रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 546/486 की कुल 8.1940हैक भूमि में सयुक्त तौर से 140 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज दादा के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

Web Copy - Not Official

- हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता एवं प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 के दादा जैसाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वाद भूमि हिस्से में आई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 431/368 की कुल 20.9920हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज सयुक्त तौर से 1/20 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 546/486 की कुल 8.1940हैक भूमि में सयुक्त तौर से 140 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे । यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official